न्यायालय, राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली

पीठासीन अधिकारी : डॉ0 भास्कर बिश्नोई, आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या : 65/2023 G.C.M.S. No. 2023/255 दर्ज दिनांक : 18.09.2023

अपीलार्थी:

1. भुरपुरी पुत्र लक्ष्मणपुरी, जाति स्वामी, उम्र 50 साल, निवासी खेड़ा पुरिया, तहसील बागोड़ा, जिला जालोर।

बनाम

प्रत्यर्थिगण:

1. दिवाली पत्नि कस्तुरपुरी
2. पाबुदेवी पत्नि चेतनपुरी, जातियान स्वामी, निवासीगण खेड़ा पुरिया, तहसील बागोड़ा, जिला जालोर।
3. अन्द्रपुरी पुत्र लक्ष्मणपुरी
4. जालमपुरी पुत्र लक्ष्मणपुरी
5. डुंगरपुरी पुत्र लक्ष्मणपुरी
6. पूरणपुरी पुत्र लक्ष्मणपुरी
7. सन्तोष पुत्री लक्ष्मणपुरी, जातियान स्वामी, निवासीगण खेड़ा पुरिया, तहसील बागोड़ा, जिला जालोर।
8. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार बागोड़ा, जिला जालोर।

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध उपखंड अधिकारी बागोड़ा द्वारा राजस्व प्रकरण संख्या 08/2020 बअनवान दिवाली वगैरह बनाम अन्द्रपुरी वगैरह में पारित आदेश दिनांक 08.09.2023

पैरोकार–

1. श्री जगदीश गोदारा, श्री पारसमल बराडा, वर्षा विश्नोई, विद्वान अभिभाषक अपीलांट।
2. श्री मधुसूदन व्यास, श्री सुदर्शन व्यास, पल्लवी व्यास, रेस्पोंडेंट संख्या 1 व 2

निर्णय

दिनांक: 29.04.2026

अपीलान्ट की ओर से जरिये अधिवक्ता यह अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध उपखंड अधिकारी बागोड़ा द्वारा राजस्व प्रकरण संख्या 08/2020 बअनवान दिवाली वगैरह बनाम अन्द्रपुरी वगैरह में पारित आदेश दिनांक 08.09.2023 के विरूद्ध पेश की गई। प्रकरण संक्षेप में निम्नानुसार है–

यह कि हस्तगत प्रकरण में रेस्पोंडेंट संख्या 1 व 2 के द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 251–ए के तहत प्रस्तुत कर अपनी खातेदारी आराजी मौजा खेड़ा पुरिया तहसील बागोडा में खसरा संख्या 28/50 में आने–जाने के लिए खसरा नंबर 31 में मार्क सी से डी के स्थान पर रास्ता दिये जाने का आदेश दिया गया है। जोकि विधिविरूद्ध हैं। प्रकरण में खसरा नंबर 28/50 जो भूमि जिसकी खातेदारी

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

है। सब खातेदारों को प्रकरण में आवश्यक रूप से पक्षकार नहीं बनाया गया है। जबकि प्रकरण में आवश्यक पक्षकारों की सुनवाई की जाकर विधिसम्मत निर्णय पारित करना था। खसरा नंबर 28/50 के खातेदार बबीदेवी पत्नि स्व. नाथूपुरी जाति स्वामी निवासी खेडा पुरिया है। जिनको पक्षकार नहीं बनाने से उनके हित प्रभावित हुए हैं। अधीनस्थ न्यायालय को बबीदेवी प्रकरण में आवश्यक पक्षकार होने के बावजूद गलत निर्णय पारित किया है। खसरा नंबर 28/50 के पास खसरा नंबर 28 है। खसरा नंबर 28 की खातेदारी बबीदेवी पत्नि स्वर्गीय नाथूपुरी, प्रकाशपुरी, नाबालिग जरिये माता बबीदेवी पत्नि स्व. नाथुपुरी, कमलपुरी पुत्र नाथुपुरी नाबालिग जरिये माता बबीदेवी, किस्तुपुरी, चेतनपुरी पुत्रगण शंकरपुरी व सोनी पत्नि शंकरपुरी की खातेदारी है। खसरा नंबर 28 के पास सार्वजनिक पानी की टंकी है, टंकी तक सार्वजनिक रास्ता है, जो खसरा नंबर 28 से लगता हुआ है। उक्त रास्ता खसरा नंबर 28/50 को जाता है। खसरा नंबर 28 व 28/50 में बबीदेवी की खातेदारी है तथा खसरा नंबर 28/50 में खातेदार दिवालीदेवी के पति कस्तुरपुरी के नाम की खातेदारी खसरा नंबर 28 है तथा पाबुदेवी के पति के नाम खातेदारी खेत आए हुए हैं। जिस कारण इनकी खातेदारी में रास्ता विद्यमान है। रास्ता होने के बावजूद गलत तरीके से रास्ता की मांग की गई हैं। जबकि धारा 251–क में यह स्पष्ट प्रावधान है कि जिसकी खातेदारी में से रास्ता लिया जाता है जो नजदीकतम दूरी का होना चाहिए। जिस कारण खातेदारों की कम से कम भूमि जावें। अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा दिनांक 12.11.2021 की मौका रिपोर्ट पर कोई गौर नहीं किया है। जबकि उक्त मौका रिपोर्ट में खसरा नंबर 10 मौजा कुका में खसरा नंबर 28/50 के लिए नजदीकतम रास्ता उपर्युक्त है तथा उक्त रास्ते से ही रेस्पोंडेंट संख्या 1, 2 प्रार्थीगण के लिए उपर्युक्त है। नजदीकतम होने के बावजूद न्यायालय द्वारा उक्त गलत निर्णय पारित किया है। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधिविरूद्ध जैर अपील आदेश पारित किया गया है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर जैर अपील आदेश अपास्त फरमावें।

अपील अपीलांट दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोंडेंट्स व अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली को तलब किया गया।

हमनें प्रकरण में विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस सुनी व उस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया। प्रकरण का विस्तृत विवेचन व निर्णयन निम्नानुसार है–

1. पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थीगण रेस्पोंडेंट संख्या 1 व 2 द्वारा रास्ते की मांग हेतु अधीनस्थ न्यायालय में अपीलांट व दीगर रेस्पोंडेंट्स अप्रार्थीगण के विरूद्ध प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। जिसे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आदेश दिनांक 08.09.2023

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

द्वारा स्वीकार किया गया। जिसके विरूद्ध अपीलांट द्वारा हस्तगत अपील अंदर म्याद प्रस्तुत की गई।

2. प्रार्थी के प्रार्थना पत्र के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थीगण द्वारा खसरा संख्या 28/50 तक पहुंच के लिए रास्ते की मांग की गई। अपीलांट द्वारा जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर प्रार्थना पत्र का खण्डन किया। प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जांच रिपोर्ट तलब की गई। प्रथम जांच प्रतिवेदन दिनांक 26.02.2020 को हल्का पटवारी द्वारा तैयार की गई। जबकि धारा 251–क के प्रकरणों में हल्का पटवारी जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए कानूनन सक्षम अधिकारी नहीं हैं। अतः उक्त कथित जांच रिपोर्ट महत्वहीन है। द्वितीय जांच प्रतिवेदन दिनांक 12.11.2021 को नायब तहसीलदार बागोड़ा द्वारा तैयार किया गया। उक्त जांच प्रतिवेदन के अवलोकन से स्पष्ट है कि नायब तहसीलदार बागोड़ा द्वारा मौका रिपोर्ट तैयार करने से पूर्व संबंधित पक्षकारान को सूचित नहीं किया गया। जांच रिपोर्ट पर किसी भी पक्षकारान के हस्ताक्षर नहीं हैं एवं न ही उपस्थिति के बावजूद हस्ताक्षर से इंकार का कोई अंकन है। अतः स्पष्ट है कि नायब तहसीलदार द्वारा पक्षकारान को सूचित किए बिना व पक्षकारान की गैर मौजूदगी में मौका रिपोर्ट तैयार की गई। जबकि पक्षकारान को मौके पर उपस्थिति बाबत सूचित किया जाना आवश्यक है।

3. विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा सी से डी के रूप में खसरा संख्या 31 के दक्षिण–पश्चिम भाग से रास्ता स्वीकृत किया गया है। उक्त रास्ता पटवारी हल्का द्वारा तैयार रिपोर्ट दिनांक 26.02.2020 द्वारा प्रस्तावित किया गया। जिसे पटवारी द्वारा तहसीलदार को प्रेषित किया एवं तहसीलदार द्वारा अपने पत्र के साथ अधीनस्थ न्यायालय को प्रेषित किया गया। जिसे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तहसीलदार की रिपोर्ट होना अंकित करते हुए रास्ता स्वीकृत किया गया। जबकि उक्त रिपोर्ट वस्तुतः हल्का पटवारी की थीं। जो कानूनन सक्षम अधिकारी नहीं हैं तथा ऐसे अधिकारी की रिपोर्ट के आधार पर धारा 251–क के अंतर्गत रास्ता स्वीकृत नहीं किया जा सकता। जिस पर गौर किए बिना अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित कर दिया गया। जो पुष्टियोग्य नहीं हैं।

4. पत्रावली पर उपलब्ध भू–नक्शा व नजरी नक्शा के अवलोकन मात्र से स्पष्ट है कि प्रार्थी की आराजी खसरा संख्या 28/50 अपीलांट की आराजी खसरा संख्या 31 के पश्चिम में समानांतर स्थित है तथा खसरा संख्या 28/50 के दक्षिण में खसरा संख्या 10 व खसरा संख्या 31 के दक्षिण में खसरा संख्या 8 स्थित है। खसरा संख्या 8 की उत्तरी व पश्चिम सीमा के सहारे मौके पर ग्रेवल सड़क चलायमान है। जिसे नायब तहसीलदार द्वारा अपनी रिपोर्ट में के, एल के रूप में अंकित किया है। खसरा संख्या 31 के दक्षिण–पश्चिम भाग में अपीलांट का मकान, पशु बाड़ा, ओरड़ी, गोबर का ढ़ेर, पक्का मकान आदि निर्मित है।

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

नायब तहसीलदार द्वारा खसरा संख्या 8 के उत्तर–पश्चिमी कोने से ग्रेवल सड़क से इससे लगते हुए खसरा संख्या 10 की पूर्वी सीमा के सहारे निकटतम दूरी का विकल्प दर्शित किया है। विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा इस पर गौर नहीं करते हुए खसरा संख्या 31 में से दक्षिण–पश्चिमी भाग में से सी से डी के रूप में रास्ता स्वीकृत कर दिया गया। जो अपीलांट के आवासीय मकान, पशु बाड़ा, पशु चारा स्थल आदि के बीच में से दिया गया है तथा निकटतम दूरी के विकल्प का समुचित परीक्षण किए बिना रास्ता स्वीकृत किया गया है। जो किसी भी दृष्टि से स्वीकार व समर्थन योग्य नहीं हैं।

5. अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर हमारा यह विनम्र मत है कि अपील अपीलांट बखूबी साबित होने तथा अपीलाधीन आदेश की पुष्टि नहीं होने से अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश को अपास्त कर प्रकरण को विधिनुरूप निर्णित करने के लिए अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाना पूर्णतया विधिसम्मत व उचित होगा।

आदेश

अतः निष्कर्षतः अपील अपीलांट अंतर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बखूबी साबित होने व सारवान होने से स्वीकार की जाती हैं तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखंड अधिकारी बागोड़ा द्वारा राजस्व प्रकरण संख्या 08/2020 बअनवान दिवाली वगैरह बनाम अन्द्रपुरी वगैरह में पारित आदेश दिनांक 08.09.2023 को अपास्त कर प्रकरण अधीनस्थ विचारण न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि प्रकरण में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251–क एवं राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) नियम 1955 के नियम 69 में विहित प्रावधानों तथा इस संबंध में माननीय राजस्व मण्डल अजमेर द्वारा प्रदत्त निर्देशों की अनुपालना करते हुए प्रकरण में भू.अ.नि. से अनिम्न राजस्व अधिकारी से सभी प्रभावित खातेदारान को सूचित करवाते हुए तथा प्रार्थी की आराजी तक पहुंच के लिए सभी संभव विकल्प प्रस्तावित करवाते हुए पुनः विस्तृत जांच प्रतिवेदन प्राप्त कर उभयपक्षकारान को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए प्रकरण विधिनुरूप पुनः निर्णित करें। उभयपक्षकारान को जरिये अधिवक्तागण पाबंद किया जाता है कि वे असालतन/वकालतन न्यायालय उपखंड अधिकारी बागोड़ा में दिनांक 25.05.2026 को पेश हों। निर्णय की प्रमाणित प्रतिलिपि के साथ अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख प्रेषित किया जावें। पत्रावली इसी मुताबिक निर्णित की जाकर बाद तकमील संख्या से एक कम होकर दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक **29.04.2026** को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर एवं न्यायालय मुहर सर–ए–इजलास सुनाया गया।

(डॉ0 भास्कर बिश्नोई)
राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली